

सं०सं०-6/एन०-08-12/2014-.....

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

आदेश

आर०पी०सिंह एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर एण्ड मेमोरियल ट्रस्ट आई०ओ०सी० रोड, सिपारा, पटना द्वारा प्रस्तावित आर०पी०सिंह० मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज (ए०एन०एम० स्कूल), सिपारा, पटना का पूर्व निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक 397 (6), दिनांक 11.06.2015 के अनुपालन में निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण समिति के अध्यक्ष डा० नागेन्द्र प्रसाद सिंह, उप निदेशक, स्वा०से०, बिहार, पटना के पत्रांक 33/उ०नि०को०, दिनांक 29.06.2015 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन एवं उसके अन्तर्गत की गयी अनुशंसाओं के आलोक में उक्त प्रशिक्षण विद्यालय को ए०एन०एम० प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र (2015-17) के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है।

- (क) उक्त संस्थान 6 माह के अन्दर भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली से अपना निरीक्षण करा लेंगे।
- (ख) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, पटना समय-समय पर गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- (ग) संस्थान द्वारा नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997, एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।
- (घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (ङ) संस्था की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल पटना (ii) सिविल सर्जन पटना तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पटना को सदस्य मनोनीत किया जाता है। इसमें सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डा० आर०डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

पटना दिनांक 28/08/2015

ज्ञापांक : सं०सं०-6/एन०-08-12/2014-..... 871(6)

प्रतिलिपि:- सचिव, आर०पी०सिंह एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर एण्ड मेमोरियल ट्रस्ट आई०ओ०सी० रोड, सिपारा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली/निबंधक, परिचारिका निबंधन परिषद् बिहार, पटना/क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा०से० पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-विभागीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।